रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 151] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 19, 2016/पौष 29, 1937
No. 151] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 19, 2016/ PAUSA 29 , 1937

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2016

का. आ. 172(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5 क की उप-धारा (1) के साथ पठित तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 47) (इसमें इसका उल्लेख उक्त अधिनियम के रूप में किया गया है), केन्द्रीय सरकार संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्द्वारा सीमान्त क्षेत्र नीति 2015 के अनुसार प्रदान किए जाने वाली संविदाओं के तहत उत्पादन किए जाने वाले कच्चे तेल को उक्त अधिनियम की धारा 15 की उप धारा (1) के अधीन उस पर लगने योग्य उप कर से छूट प्रदान करती है।

[फा. सं. ओ-31018/83/2014/ओएनजी-III]

यू. पी. सिंह, अपर सचिव

MINISTRY OF PERTOLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th January, 2016

S.O. 172(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 15 of the Oil Industry (Development) Act, 1974 (47 of 1974) (herein referred to as the said Act), read with sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts crude oil to be produced under the contracts awarded in accordance with the Marginal Field Policy 2015, from the cess leviable thereon under sub-section (1) of section 15, of the said Act.

[F.No. O-31018/83/2014/ONG-III]

U. P. SINGH, Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2016

का. आ. 173(अ).— तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) की धारा 6 क की उपधारा (4) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार उन दरों, जिन पर सीमांत क्षेत्र नीति, 2015 के अनुसार प्रदान किए गए संविदाओं से उत्पादित पेट्रोलियम नामत: कच्चा तेल, कंडेनसेट और प्राकृतिक गैस के संबंध में रॉयल्टी देय होगी, को विनिर्दिष्ट करने के लिए उक्त अधिनियम को आगे संशोधित करने हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, नामत:

उक्त अधिनियम की अनुसूची में, -

(i) कच्चे तेल से संबंधित प्रविष्टि 1 के तहत, पैराग्राफ 2 के बाद निम्नलिखित पैराग्राफ, शामिल किया जाएगा नामत:,

''सीमांत क्षेत्र नीति, 2015 के तहत प्रदान की गई संविदाओं से उत्पादन:

(क) अभितटीय संविदाओं से उत्पादन के संबंध में क्रेता से प्राप्य कच्चे तेल के मूल्य का 12.5%।

(ख) अपतटीय उथले समुद्री (400 मीटर समुद्री गहराई तक) संविदाओं से उत्पादन के संबंध में क्रेता से प्राप्य कच्चे तेल के मूल्य का 10%।

(ग) संविदा क्षेत्र में वाणिज्यिक उत्पादन के बाद पहले 7 वर्षों के लिए गहरे समुद्री अपतटीय (400 मीटर समुद्री गहराई से कम) संविदाओं से उत्पादन के संबंध में क्रेता से प्राप्य कच्चे तेल के मूल्य का 5% और शेष अवधि के दौरान उथले समुद्री (400 मीटर तक समुद्री गहराई) संविदाओं के लिए यथा लागू सामान्य दरें'',

(ii) केसिंग हैड कंडेनसेट से संबंधित प्रविष्टि 2 के तहत, पैराग्राफ 2 के बाद निम्नलिखित पैराग्राफ, शामिल किया जाएगा, नामत:

"(3) सीमांत क्षेत्र नीति, 2015 के तहत प्रदान की गई संविदाओं से उत्पादन:

(क) अभितटीय संविदाओं से उत्पादन के संबंध में क्रेता से प्राप्य कंडन्सेट के मूल्य का 12.5 प्रतिशत।

(ख) अपतटीय उथले समुद्र (400 मीटर की समुद्री गहराई) संविदाओं से उत्पादन के संबंध में क्रेता से प्राप्य कंडन्सेट के मूल्य का 10 प्रतिशत।

(ग) संविदागत क्षेत्र में वाणिज्यिक उत्पादन के बाद प्रथम सात वर्षों के लिए गहरे समुद्री अपतटीय (400 मीटर की कम समुद्री गहराई) संविदाओं से उत्पादन के संबंध में क्रेता से प्राप्य कंडन्सेट के मूल्य का 5 प्रतिशत और शेष अवधि के दौरान उथले समुद्री (400 मीटर तक की समुद्री गहराई) संविदाओं के लिए यथा लागू सामान्य दरें।

(iii) प्राकृतिक गैस से संबंधित प्रविष्टि 3 के संख्या "3 (क)" के तौर पर पुन: निर्धारित किया जाएगा और इस प्रकार पुन: निर्धारित संख्या के अनुसार अनुच्छेद (क) के पश्चात निम्नलिखित अनुच्छेद को शामिल किया जाएगा, नामत:-

"(ख) सीमांत क्षेत्र नीति, 2015 के तहत प्रदान की गई संविदाओं से प्राकृतिक गैस का उत्पादन:

(क) अभितटीय संविदाओं तथा अपतटीय उथले समुद्र (400 मीटर तक की समुद्री गहराई) संविदाओं से उत्पादन के संबंध में क्रेता से प्राप्य प्राकृतिक गैस के मूल्य का 10 प्रतिशत।

(ख) संविदागत क्षेत्र में वाणिज्यिक उत्पादन के बाद प्रथम सात वर्षों के लिए गहरे समुद्री अपतटीय (400 मीटर की कम समुद्री गहराई) संविदाओं से उत्पादन के संबंध में क्रेता से प्राप्य कंडन्सेट के मूल्य का 5 प्रतिशत और शेष अवधि के दौरान उथले समुद्री (400 मीटर तक की समुद्री गहराई) संविदाओं के लिए यथा लागू सामान्य दरें।

[फा. सं. ओ-31018/83/2014/ओएनजी-III]

यू. पी. सिंह, अपर सचिव

MINISTRY OF PERTOLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th January, 2016

S.O. 173(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6A of the Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendments further to amend the said Act, to specify the rates at which royalty shall be payable in respect of petroleum, namely crude oil, condensate and natural gas produced from contracts awarded in accordance with the Marginal Fields Policy, 2015, namely :-

In the Schedule to the said Act, -

(i) under the entry 1 relating to Crude Oil, after paragraph 2, the following paragraph shall be inserted, namely: -

"Production from contracts awarded under Marginal field policy, 2015:

(a) 12.5 per cent of the value of crude oil receivable from the buyer in respect of production from on-shore contracts.
(b) 10 per cent of the value of crude oil receivable from the buyer in respect of production from off-shore shallow water (up to 400 meters water depth) contracts.
(c) 5 per cent of the value of crude oil receivable from the buyers in respect of production from deep water off-shore(>400 meters water depth) contracts for the first seven years after commercial production in the contract area and normal rates as applicable to shallow water (up to 400 meters water depth) contracts during remaining periods" ;

(ii) under the entry 2 relating to Casing Head Condensate, after paragraph 2, the following paragraph shall be inserted, namely: -

"(3) Production from contracts awarded under Marginal field policy, 2015:
(a) 12.5 per cent of the value of condensate receivable from the buyer in respect of production from on-shore contracts.
(b) 10 per cent of the value of condensate receivable from the buyers in respect of production from off-shore shallow water (up to 400 meters water depth) contracts.
(c) 5 per cent of the value of condensate receivable from the buyers in respect of production from deep water off-shore (>400 meters water depth) contracts for the first seven years after commercial production in the contract area and normal rates as applicable to shallow water (up to 400 meters water depth) contracts during remaining periods";

(iii) entry 3 relating to Natural Gas shall be re- numbered as "3(a)" and after paragraph (a) as so re-numbered, the following paragraph shall be inserted, namely : -

"(b) Production of natural gas from contracts awarded under the Marginal Field Policy, 2015:

(a) 10 per cent of the value of natural gas receivable from the buyer in respect of production from on-shore contracts and off-shore shallow water (up to 400 meters water depth) contracts.

(b) 5 per cent of the value of natural gas from the buyers in respect of production from deep water off-shore (>400 meters water depth) contracts for the first seven years after commercial production in the contract area and normal rates as applicable to shallow water (up to 400 meters water depth) contracts during remaining periods".

[F.NO. O-31018/83/2014/ONG-III]

U. P. SINGH, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.